न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 20/2011

उनवान

(1) सुभाषचंन्द्र भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी
(2) राजेन्द्र भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी
(3) कृष्णकांत भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी
(4) सुनील भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी

–: वादीगण

बनाम

(1) मृतक स्व0 श्री चन्द्रभुषण पिता जवाहरलाल ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी के वारिसानः–
1/1. विनयभुषण पिता स्व0 श्री चन्द्रभुषण
1/2. जयभुषण पिता स्व0 श्री चन्द्रभुषण
1/3. ज्योत्सना पत्नि स्व0 श्री चन्द्रभुषण
(2) रमेश चन्द्र पिता जवाहरलाल ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी ।
(3) हेमेन्द्र कुमार पिता जवाहरलाल ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी ।
(4) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत – 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 03.9.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के स्वामित्व की भुमी खाता संख्या 698 (नया) 678 (पुराना) के सर्वे नम्बर 3417 रकबा 0.28 हे0, 51 रकबा 0.03 हे0 59–0.22 हे0 62 रकबा 0.11 हे0 63 रकबा 0.07 हे0, एवं 136 रकबा 0.40 हे0 भूमी गांव बोरी पटवार हल्का बोरी, तहसील गढी जिला बांसवाडा में दर्ज रेकार्ड है। जिसके वादीगण एकमात्र स्वामी व मालीक है तथा राज्य सरकार को नियमित लगान अदा करते आ रहे है । वादीगण पैतृक समय से उपरोक्त आराजीयात पर कृषि करते आ रहे है, वादीगण नौकरी पेशा व्यक्ति होने से कुछ समय पूर्व बाहर रहे, उक्त अवधि मैं प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की उक्त आराजीयात की भूमी आराजी नम्बर 3417, 51, 59, 62, 63, व 136 पर आये दिन अतिक्रमण कर कब्जा करने के प्रयास में, वागड काटने, फसल चराने लगे, वादीगण उन्हे हर हमेशा समझाईश कर विवाद टालने का प्रयास करते रहे परन्तु सन् 2004 में प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात पर वादीगण की अनुपस्थिति में अवैध रूप से अतिक्रमण कर उक्त आराजीयात की भुमी को हाक दिया जिस पर वादीगणों को जैसे हीपता चला उन्हे रोका परन्तु प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर उतारू हो जान माल का खतरा बता अतिक्रमण कर फसल करने लगे। वादीगण ने तहसीलदार गढी, जिला कलक्टर बांसवाडा तथा राजस्व बोर्ड अजमेर को प्रार्थना पत्र देकर प्रतिवादीगणों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने कार्यवाही की। उक्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करते हुए श्रीमान् जिलाधीश बांसवाडा द्वारा तहसीलदार गढी को समय समय पर आदेशित कर प्रतिवादीगण को उक्त भुमी से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाने आदेश दिये परन्तु राजस्व कर्मियों की लापरवाही एवं मिलीभगत से श्रीमान् जिला कलक्टर के आदेशों की पालना नही की जा रही जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उपरोक्त आराजीयात की भूमी आराजी नम्बर 3417, 51, 59, 62, 63 व 136 वाके गांव बोरी पटवार हल्का बोरी पर किसी प्रकार का कोई वैद्य अधिकार, हक नही है प्रतिवादीगण बाहुबल के आधार पर वादीगण को डरा धमकाकर उक्त भूमी पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे जरिये आज्ञापक आदेश हटाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी होकर उक्त भुमी पर कब्जा करने, खेती करने अथवा अतिक्रमण का उन्हें कोई कानुनी हक व अधिकार नही है । वादीगण उपरोक्त भुमी पर पैतृक समय से कारत कर उस पर फसल कमाते आये है तथा आज दीर भी उक्त भुमी का लगान नियमित अदा करते आ रहे है। वादीगण द्वारा करीब 6 वर्षो से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने कार्यवाहीया की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बाँसवाड़ा

रही है परन्तु प्रतिवादीगण प्रभावशील व्यक्ति होकर राजस्व कर्मीयों से मिलकर अतिक्रमण हटाने राजी नही है जिन्हे जरिये आदेश बेदखली हटाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी भूमी को जबरन गैर कानुनी रूप से हडपना चाहते है तथा इसी उद्देश्य से उक्त अतिक्रमण कर रखा है। प्रतिवादीगण को वादीगण के हक, हित व अधिकारों पर कुठाराघात करने का दिन कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात पर बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया नही गया तो वादीगण को अमुल्य क्षति होगी जिसका रूपयों में मुल्यांकन संभव नही है तथा वादीगण अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे एवं प्रतिवादीगण गैर कानुनी रूप से वादीगण की भूमी हडपने में सफल हो जाएंगे। अतः जरिये आज्ञापक आदेश उपरोक्त आराजीयात की भूमी से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बावत् की आदेशित किया जाना आवश्यक है कि वह वादीगण की भूमी में अनाधिकृत प्रवेश, अतिक्रमण, निर्माण का प्रयास न करे, न किसी से करावे एवं वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे द्य इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा 183, 188 एवं 209RT Act. के तहत प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कियेजाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री मुकेश द्विवेदी, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की जाने पर दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 01 के फोत होने पर संशोधित उनवान पेश हुआ। दौराने कार्यवाही वादी संख्या 05 के फोत होने पर वादी संख्या 05 का नाम विलोपित किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की ओर से जवाबदावा मय काउन्टरसुट प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टरसुट का वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः-

(1) आया आराजियात ख0नं0 3417 रकबा 0.28 हे0, 51 रकबा 0.03 हे0, 59 रकबा 0.22 हे0, 62 रकबा 0.11 हे0, 63 रकबा 0.07 हे0, 136 रकबा 0.40 हे0 वाके ग्राम बोरी में वादीगण के स्वामित्व की है।

—: वादीगण

(2) आया विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होने से वादीगण बेदखली की डिकी बखिलाफ प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

—: वादीगण

(3) आया वाद बेदखली वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बखिलाफ प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

—: वादीगण

(4) आया ख0 नं0 3417 रकबा 0.28 हे0 प्रतिवादीगण को बटवारें में प्राप्त होकर उस पर प्रतिवादीगण का मकान बना होकर कब्जा चला आ रहा होने से प्रतिवादी का अधिकार बनता है।

—: प्रतिवादीगण

(5) आया ख0नं0 51, 59, 62, 63, 136 बिलानाम थी जो प्रतिवादीगण के क़ब्जे काश्त में पिता के जीवनकाल से चली आ रही होने से प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

—: प्रतिवादीगण

(6) आया विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण का निर्बाध निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा प्रतिकूल 12 वर्ष की अवधि से अधिक का होने से धारा 63 (4) आर0टी0ए0 में वादी के अधिकार लुप्त होकर प्रतिवादीगण के अधिकार उत्पन्न हो चुके है।

—: प्रतिवादीगण

(7) आया वाद कारण उत्पन्न न होने से वाद खारिज योग्य है।

—: प्रतिवादीगण

प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य के रूप में सुभाष चन्द्र पिता मोहनलाल भट्ट, कृष्णकान्त पिता मोहनलाल भट्ट, सुनील पिता मोहनलाल भट्ट के शपथ-पत्र पेश होकर सुभाष चन्द्र पिता मोहनलाल द्वारा जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श-1, नक्षा ट्रेस प्रदर्श-2, नक्षा ट्रेस दिनांक 20.11.2002 प्रदर्श-3, जमाबन्दी (प्रतिवादी की) संवत 2068 से 2071 प्रदर्श-4, तहसीलदार गढ़ी का आदेश दिनांक 15.6.2006 प्रदर्श-5, तहसीलदार गढ़ी का आदेश दिनांक 18.9.2007 प्रदर्श-6, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 5.8.2004 प्रदर्श-7, मौका पर्चा दिनांक 21.5.2005 प्रदर्श-8, भू-अभि0 निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 5.7.2004 प्रदर्श-9, मौका पर्चा दिनांक 16.7.2004 प्रदर्श-10, रसीद संख्या 041 प्रदर्श-11, वादग्रस्त भूमि के फोटो प्रदर्श-12 से 14, मोहनलाल के नाम का पट्टा खाता संख्या 286 प्रदर्श-15, मोहनलाल के नाम का पट्टा खाता संख्या 216 प्रदर्श-16 प्रदर्शित करवाये जाने के पश्चात् प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्शित करवाये गये प्रदर्श–12 से 14 के कम में आपत्ति करते हुऐ लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वादी अभिभाषक को दिलाई जाकर गवाह के कथन "रिजर्व" रखें गये। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रतिवादी अभिभाषक की ओर से प्रदर्श–12 से 14 के कम में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की बहस सुनी जाकर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रदर्शित करवाये गये प्रदर्श–12 से 14 को रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित माना जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली जिरह हेतु नियत की जाकर वादी के गवाह सुभाष चन्द्र से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया गया कि " यह कि सही है कि मैं बैंक से सेवानिवृत व्यक्ति हूँ दावा मेरे पिताजी ने पेश किया सेवानिवृति से पहले पेश किया था यह बात सही हक वाद 2010 में पेश किया है। मेरी नोकरी परतापुर स्टेट बैक ऑफ बीकानेर व खेरवाड़ा में थी खेती मेरे पिताजी करते थे। जवाहरलालजी मेरे ताउजी लगते है। यह बात गलत है कि मोहनलालजी और जवाहरलालजी शामलाती खेती करते है। जवाहलालजी का कोई मकान नही है। दोनों की जमीने अलग–अलग है बटवारा नही हुआ है। जमीन मेरी है उस पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर अवैध मकान बनाकर विधुत कनेक्शन लिया है। सन् 2003–04 में उन्होनें कब्जा किया है। यह बात गलत है कि जमीन पर अलग से मवेशी घर बनाया है। यह बात गलत है कि मौके पर मवेशी हैण्डपम्प हों। मेरे पिताजी की मृत्यु 2010 में हुई। यह बात सही है कि मेरे पिता ने आपति नही कि अजखुद कहा कि मेरे पिता को 2004 में लगवा हो गया था इसलिए नही कि। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण खेती करते हो। अजखुद कहा प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा किया। यह बात सही है कि मोहनलालजी व जवाहलाल के बटवारे हुए थे अजखुद कहा कि दोनो के खाते अलग है यह बात गलत है कि आराजी न0 3417 रकबा 0.25 हे0 जवाहलालजी का हो अजखुद कहा मोहनलालजी का है। यह मुझे नही पता कि पूर्व में यह रकबा कभी पैतृक रहा हों। यह बात गलत है कि वादग्रस्त जमीन पर जवाहरलालजी ने कभी खेती की हों। यह बात गलत है वादग्रस्त भूमि 75 वर्ष से प्रतिवादीगण के हक में हो और उनके कब्जे हों। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु प्रतिवादी ने कोई खर्चा किया हों। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पूर्व से ही कोई कब्जा हो अजखुद कहा की प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण किया है। यह बात गलत हे कि राजस्व रिकार्ड में संवत 2012 में जवाहलालजी का कब्जा रहा हों। यह बात सही है कि वर्तमान में प्रतिवादी ने इस पर अतिक्रमण कर उपभोग कर रहे है। यह बात गलत हे कि पहले जवाहरलाल खेती करते हो और फीर उनके वारीस करते हों। यह बात सही है कि वर्तमान में प्रतिवादी का कब्जा है। सन् 2004 में उक्त जमीन पर कब्जा किया गया है। यह गलत है कि मैने 6 वर्ष तक दावा नही किया हो अजखुद कहा की अजमेर बोर्ड तक कार्यवाही करता रहा। यह बात गलत है कि मेने कार्यवाही के कोई दस्तावेज पेश नही किए हो बल्कि किए है। सर्वे नम्बर 51, 59, 62, 63 व 136 बिलानाम सरकार दर्ज हो अजखुद कहा मेरे खाते में दर्ज है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भुमि पर जवाहलालजी खेती करते हो अजखुद कहा 2004 में जवाहलाल नही थें। यह बात गलत कि वादग्रस्त भूमि पर जवाहलाल एंव प्रतिवादगण खेती करते आ रहे हों। यह बात सही है कि फोटोग्राफ की सीडी नही दी है। यह बात गलत है कि मेरी व प्रतिवादीगण की जमीन आस–पास हो अजखुद कहा कि पहले मेरी जमीन है व बाद में प्रतिवादीगण की जमीन है। यह बात सही है कि 2006 कि तहसीलदार रिपोर्ट में प्रतिवादीगण का कब्जा बताया हो यह बात सही है कि 2004 में तहसीलदार रिपोर्ट में प्रतिवादीगण का कब्जा बताया अजखुद कहा इसलिए तो केस किया है यह बात सही कि प्रतिवादीगण 2004 से उस पर खेती करते आ रहे हो। मेने दावा बेदखली का पेश [illegible] यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे की हो और [illegible] किया हों"

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात् वादीगण की साक्ष्य बंद की जाकर [illegible] प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत की जाने पर प्रतिवादी की साक्ष्य के रूप हेमेन्द्र कुमार पिता [illegible]हरलाल भट्ट का शपथ पत्र पेश होकर दस्तावेज यथाः मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्श ए–1 जिस पर जवाहरलाल, मोहनलाल, जितेंग पाटीदार, भेमजी व खेमजी पाटीदार मौजुद थें, ट्रेस नक्शा संवत 2030 प्रदर्श ए–2, विद्युत कनेक्शन का बिल प्रदर्श ए–3, फोटोग्राफ प्रदर्श ए–4, ए–5, ए–6, ए–7, ए–8, ए–9, ए–10, ए–11, ए–12, ए–13 तथा फोटोग्राम की. सी.डी. प्रदर्श ए–14, फोटोग्राफर का प्रमाण–पत्र प्रदर्श ए–16, सुनील कुमार की सूचना का पत्र प्रदर्श ए–17, कृष्णकान्त का सूचना पत्र प्रदर्श ए–18 प्रदर्शित करवाये जाने के पश्चात्

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

प्रतिवादी के गवाह से वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि ''जवाहरलालजी मेरे पिताजी थे मोहलालजी मेरे काकाजी थे, मैं पशुपालन विभाग मे नौकरी करता था यह बात सही है कि आराजी नम्बर 3417 मोहनालालजी के नाम दर्ज है। यह बात सही है कि आराजी नम्बर 57, 59, 62, 63 व 136 मोहनलालजी के नाम दर्ज है। यह बात गलत है कि उक्त आराजी नम्बर पर मोहनलालजी खेती करते हो अजखुद कहा की 75 वर्ष से हम ही खेती करते है। मेरी उम्र 61 वर्ष है। यह बात गलत है कि हमने कृषी नही कि[illegible]की पिताजी के साथ हम कृषि करते थे व उन के बाद हम करते है। यह बात गलत है कि विवाद 2004 में हुआ हो बल्कि 1990 मे विवाद हुआ था जो सुलज गया था। यह बात सही [illegible] अतिक्रमण किया हो और वादीगण ने कार्यवाही की हो अजखुद कहा कि वादीगण [illegible] बात सही है कि मोहनलालजी को मान्य था ऐसा कोई दस्तावेज ह[illegible] है। आराजी नम्बर 3417 के पिछे आराजी नम्बर 3416 हमारे नाम दर्ज है। अजखुद कहा कि जो संशोधन नही हो पाया। यह बात सही कि आराजी नम्बर 3417 रोड पर है। यह बात सही है कि आराजी नम्बर 3417 शुरू से मोहनलालजी के नाम दर्ज है। अजखुद कहा संशोधन नही हो पाया। यह बात सही है कि 2004 में आराजी नम्बर 3417 में पशुघर व कमरा बनाया व अजखुद कहा कि कमरा पहले से बना हुआ है और हमारे खाते की जमीन पर बनाया है। यह बात सही है कि मैने ग्राम पंचायत की कोई तामिल स्वीकृति पेश नही की है''

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात् प्रतिवादी की साक्ष्य के रूप में अन्य गवाह विनयभुषण पिता स्व0 श्री चन्द्रभुषण की साक्ष्य का शपथ पत्र पेश होने पर वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाकर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत श्पथ–पत्र आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकिवार निर्णय पारित किया जाता हैः–

तनकी संख्या 01:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार पूर्णतया वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इसे सिद्ध करने के लिये ही वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज यथाः मौका पर्चा दिनांक 19.4.90 प्रदर्श ए–1 अनुसार पुराना सर्वे नम्बर 4994/1, 4994/2 के हाल सर्वे नम्बर 3516, 3517 बने होकर पूर्व में वादीगणः के पिता व प्रतिवादीगण के पिता के मध्य गांव के मौतबिरान के रूबरू दिनांक 19.4.1990 को समझोता हो चुका था। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादग्रस्त भूमिपर वादीगण के पिता के समय से ही प्रतिवादीगण के पिता का कब्जा होकर आदिनांक तक निरन्तर प्रतिवादीगण का कब्जा होने से वादीगण बेदखली की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से होकर निरन्तर होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कराने हेतु वादीगण अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब के समर्थन में प्रस्तुत प्रदर्श– ए.1 अनुसार समझोता होकर वर्तमान में प्रतिवादीगण काबिज है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब के समर्थन में प्रस्तुत प्रदर्श– ए.1, प्रदर्श– ए.7, 8, 9, 10 अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब के समर्थन में प्रस्तुत प्रदर्श– ए.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 07:– न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

तत्पश्चात् प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बकुलाय की बहस पर मनन एंव वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण की साक्ष्य/जिरह, निर्णित की गई तनकियात का अवलोकन करने पर ज्ञात आया की पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी के सर्वे नम्बर 3417, 57, 59, 62, 63, 136 के कम में वादीगण द्वारा

प्रस्तुत वाद से पूर्व ही वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के समय से ही प्रतिवादीगण का कब्जा होकर निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी के सर्वे नम्बर 3417, 57, 59, 62, 63, 136 के कम में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्व ही वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के समय से ही प्रतिवादीगण का कब्जा होकर निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.9.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 20/2011

उनवान

(1) सुभाषचन्द्र भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी
(2) राजेन्द्र भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी
(3) कृष्णकांत भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी
(4) सुनील भट्ट पिता मोहनलाल भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी

—: वादीगण

बनाम

(1) मृतक स्व0 श्री चन्द्रभुषण पिता जवाहरलाल ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी के वारिसान:—
1/1. विनयभुषण पिता स्व0 श्री चन्द्रभुषण
1/2. जयभुषण पिता स्व0 श्री चन्द्रभुषण
1/3. ज्योत्सना पत्नि स्व0 श्री चन्द्रभुषण
(2) रमेश चन्द्र पिता जवाहरलाल ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी ।
(3) हेमेन्द्र कुमार पिता जवाहरलाल ब्राह्मण निवासी बोरी तहसील गढी ।
(4) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत — 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 03.9.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी के सर्वे नम्बर 3417, 57, 59, 62, 63, 136 के कम में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्व ही वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के समय से ही प्रतिवादीगण का कब्जा होकर निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 03.9.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य		शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

03.9.24

पत्रावली पेश हुई। अभ्यार्थी उपस्थित। अभ्यार्थी की बहस, वारिसान की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख तथा प्रतिवादियों के जवाब व अभिलेख का मनन तथा अवलोकन किया गया। प्रकरण में पृथक से निर्णय डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] बाद तामील कर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:33 IST
Reason: SelfAttested